कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः– 3238 / FP/UK/ROAD/8881/2014 दिनॉकःदेहरादून 3 मार्च, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25, सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सिलखड्ड–कुनैन मोटर मार्ग (किमी0 5.00) से सैंज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.3478 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के लिये ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पत्रांक–8बी / यू.सी.पी. / 06 / 94 / 2015 / एफ0सी0 / 971 दिनॉक 11–09–2017.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पर कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के पत्रांक 3246 / 12–1 दिनांक 23–03–2018 **(संलग्नक–1)** द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही हैः–

2– शर्त संख्या–1 के अनुपालन में सूचित करना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ग्राम सैंज की 10.6956 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों तक रख–रखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग के द्वारा आगणित धनराशि ₹ 27,09,538.00 (₹ सत्ताईस लाख नौ हजार पांच सौ अड़तीस) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम सैंज की 10.6956 हे0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कर दिया गया है। म्यूटेशन की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

3. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 35,13,505.00 (₹ पैंतीस लाख तेरह हजार पांच सौ पांच) मात्र कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।

4. शर्त संख्या–3 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य दर में यदि बढ़ोत्तरी की जाती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी बचनबद्ध है। **(संलग्नक–3)**

5. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं सभी निधियां (62,23,043.00 (₹ बासठ लाख तेईस हजार तरालीस) मात्र प्रतिपूर्ति निधि प्रबन्धन तथा योजना प्रबन्धन (CAMPA) के कॉरपोरेशन बैंक में online portal के माध्यम से जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–4)**

–क्रमशः–

6. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की बचनबद्धता [illegible] गयी है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव होगा, सड़क के दोनों किनारों एवं [illegible] Central verge) पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण करेगा। [illegible]

7. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संशोधित District Profile [illegible] के Additional Information की क्रम संख्या–2 में पोर्टल पर ऑन–लाईन अपलोड कर दिया गया है।

8. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उक्त वर्णित पत्र (संलग्नक–1) की बिन्दु [illegible] में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है।

9. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रस्ताव की मूल प्रति, जिसमें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के मूल प्रमाण–पत्र, जियो रेफिरेन्स डिजिटल मैप तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि का मूल मानचित्र संलग्न है, पूर्व में ही भारत सरकार को उपलब्ध करायी जा चुकी है। उक्त अभिलेखों/मानचित्र की प्रति पुनः संलग्न की जा रही है। **(संलग्नक–6)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता द्वारा कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विषयॉकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय,

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– 3338 / FP/UK/ROAD/8881/2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार, मुख्यालय कालसी।

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी